संख्या-216/2016/978/22-2-2016-17(12)/2007

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 02 नवम्बर, 2016***

विषय:- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन पुत्र श्री दीपचन्द्र, निवासी-जनपद-मथुरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17010/प्रो0-5-दया0-अन्य-118/19-05-2016 दिनांक 01-06-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन पुत्र श्री दीपचन्द्र, ग्राम-रोटी गोदाम, थाना-सदर बाजार, जिला-मथुरा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा भूमि के विवाद को लेकर दिनांक 28.11.1979 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सरिया व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-18/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा द्वारा दिनांक 23-09-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 03 सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.05.2016 तक 16 वर्ष 01 माह 06 दिन की अपरिहार एवं 21 वर्ष 03 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा भविष्य में जघन्य अपराध कारित किया जा सकता है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त की गयी सजा के पूर्ण रूप से भोगने का सार्थक प्रयोजन यह है कि सम्पत्ति मकान के विवाद की रंजिश के चलते पुन: अपराध किया जा सकता है तथा बन्दी के परिवार की समाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी कालीचरन (बन्दी संख्या-1100/2000) पुत्र श्री दीपचन्द्र, निवासी-जनपद-मथुरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-216/2016/978/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in